न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–136/2012

बाबू लाल पुत्र श्री सीताराम जाति मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी–ग्राम गुनावता तहसील आमेर जिला जयपुर राज0 **–अपीलान्ट–**

बनाम

1. सीता राम पुत्र स्व0 श्री रामदेव उम्र 90 वर्ष मृतक दौरान अपील

1/1.रूकमा देवी पत्नि छीतर उम्र 52 वर्ष निवासी–ग्राम जिहाडा तहसील चौमूँ जिला जयपुर

1/2. धापा देवी पत्नि रामकुमार उम्र 50 वर्ष निवासी–चिताणु तहसील आमेर जिला जयपुर

1/3.झूमा देवी पत्नि स्व0 श्री किशन उम्र 45 वर्ष निवासी–बासखो फाटक, तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0

1/4.भौरी देवी पत्नि कजोड उम्र 40 वर्ष निवासी–टोडा मीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

1/5. कल्ली बेवा फोत पुत्री समस्त स्व0 सीता राम

2. भैरू पुत्र स्व0 सीता राम उम्र 47 वर्ष

3. सेडूराम पुत्र श्री सीता राम उम्र 35 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम गुनावता तहसील आमेर जिला जयपुर

4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6. हल्का पटवारी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. ग्राम पंचायत लबाना जरिये सरपंच तहसील आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री फूलचन्द मीणा अपीलांट की ओर से।

2– रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:– निर्णय :– दिनांक :–05–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–12–2011 मुकदमा नम्बर–91/2010 उनवानी श्री बाबू लाल बनाम सीता राम वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि कुल किता 19 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर वाके ग्राम गुणावता में स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 भाग में वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 03 सह–खातेदार काश्तकार है।वादी उक्त भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण नं0 01 ता 03 सह–कृषिधारक होने व आवश्यक पक्षकारान होने के कारण प्रतिवादी पक्षकारान बनाया गया है।भूमि सहखातेदारान की संयुक्त व अविभाजित सम्पत्ति है अतः भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2011 के द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में आधार लिये गये है कि अपीलाधीन निर्णय वडिक्री अभिलेख पर उपलब्ध रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 01 ता 03 ने बाबू लाल बनाम सीता राम वगैरह ने गलत पक्षकारान बनाकर राजस्व रिकार्ड के प्रतिकूल निर्णय व डिक्री की कार्यवाही एकतरफा करवाई गई है जो विधि के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलान्ट द्वारा उक्त आधारों पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2011 को निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई ।

5. अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। वादी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी में स्थित होना कथन करते हुए दावा बाबत विभाजन प्रस्तुत किया गया हैं।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि ''वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी के खाता सख्या 263 संवत 2065 लगायत 2068 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता सीता राम पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 दर्ज हैं। जमाबंदी में अन्य सह–कृषक भी है। वादी का नाम सह–कृषक में इन्द्राज नहीं है।अन्य सह–कृषकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी ने अपने हिस्से की घोषणा का दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है। एक

सह–कृषक ही अन्य सह–कृषकों से बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकता है। वादी ने पैतृक भूमि होने बाबत कोई सबूत पेश नहीं किये है।इस प्रकार वादी सह–काश्तकार नहीं होने से विभाजन अधिकारी नही है।''अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पूर्णतया उचित हैं। वादी द्वारा न तो भूमि में खातेदारी अधिकारों की कोई घोषणा चाही गई है तथा न ही भूमि के पैतृक अविभाजित भूमि होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में जो आधार लिये गये है वह बिल्कुल अस्पष्ट तथा आधारहीन हैं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई है न की वादी के विरूद्ध। वादी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर उपलब्ध थे परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्पष्ट,दस्तावेजी साक्ष्यों से रहित प्रस्तुत किया गया है। अपील भी आधारहीन प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

7. अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2011 यथावत रखे जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 05–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर